प्रेस नोट दिनांक 04.07.2026

थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना थाना मांधाता द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मांधाता के उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह रि0का0 अभिषेक यादव व रि0का0 झुनझुन याद व द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मा० अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 10 प्रयागराज प्रतापगढ़ के केस न0 435/21धारा 138 NI ACT थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त नीरज कुमार यादव पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम शोभीपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 43 वर्ष थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत हैसी बाजार थाना मांधाता से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. नीरज कुमार यादव पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम शोभीपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 43 वर्ष।

पुलिस टीम -
उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह रि0का0 अभिषेक यादव व रि0का0 झुनझुन यादव थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 साकिर उर्फ भुवर को थाना क्षेत्रान्तर्गत खटवारा पुलिया के पास के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में म0उ0नि0 आंकाझा वर्मा मय हमराह का0 मोहन प्रसाद, रि0 जयप्रकाश भारती, रि0म0का0 अन्नू कुमारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(1),115(2),126(2),351(3),352,333 बीएनएस थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 साकिर उर्फ भुवर पुत्र अब्दुल खालिद निवासी ग्राम शाह गरीब की तकिया (सरायइन्द्रावत) थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत खटवारा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 साकिर उर्फ भुवर पुत्र अब्दुल खालिद निवासी ग्राम शाह गरीब की तकिया (सरायइन्द्रावत) थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष।

पुलिस टीम-
म0उ0नि0 आंकाझा वर्मा मय हमराह का0 मोहन प्रसाद, रि0 जयप्रकाश भारती, रि0म0 का0 अन्नू कुमारी
थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत उमरखन का पुरवा रास्ते का बाग के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया-

उक्त प्रकरण में पूर्व में 01 अभियुक्त मो0 अशरफ उर्फ धोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

प्रतापगढ़।
थाना कुंडा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नया का पुरवा सुजौली निवासी वादी की तहरीर के आधार पर उनकी माता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना कुंडा पर मु0अ0सं0 231/2026, धारा 70(1)/351(3) बीएनएस एवं 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. मो0 अशरफ उर्फ धोनी पुत्र जियाउद्दीन, 2. रिजवान पुत्र मोईनउद्दीन एवं 3. हसन पुत्र फहीम खान, निवासीगण ग्राम नया का पुरवा सुजौली, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज राय मय हमराह हे0का0 दीपक दुबे व रि0का0 कुलदीप पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा-70(1)/351 (3) बीएनएस व 3 (2) व 3(2)va SC/ST एक्ट थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 बाल अपचारी को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत उमरखन का पुरवा रास्ते का बाग के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मनोज राय मय हमराह हे0का0 दीपक दुबे व रि0का0 कुलदीप पटेल थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस की त्वरित कार्यवाही: नाबालिग अपहृता सकुशल बरामद, बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मोहित सरोज को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत नयापुरवा वेल्हा नहर मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 14.06.2026 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे सेवकराय (कटरा) निवासी वादिनी द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को गांव निवासी मोहित सरोज पुत्र धीरेन्द्र सरोज द्वारा बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाया गया। इस संबंध में थाना लालगंज में अन्तर्गत धारा 137 (2) 187 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र राम मय हमराह का0 श्रवण कुमार, म0का0 प्रान्जली यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2) 87 BNS थाना-लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मोहित सरोज पुत्र धीरेन्द्र सरोज निवासी ग्राम डिहवा पूरे सेवकराय थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत नयापुरवा वेल्हा नहर मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया, साथ ही अपहृता को सकुशल बरामद किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त मोहित सरोज व अपहता ने एक स्वर में बताया कि हम दोनो एक दूसरे से प्यार करते है। इस लिए मोहित सरोज द्वारा अपहता को अपने साथ शादी का वादा करके दिनांक 14/06/2026 को ले जाया गया था, मोहित सरोज व अपहता एक साथ अपने अपने से निकले थे और लालगंज से हरियाणा चले गये थे। हम लोगों को थाना लालगंज में दर्ज मुकदमे की जानकारी होने पर हम लोगों द्वारा परिवार वालों को समझाने बुझाने आ रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मोहित सरोज पुत्र धीरेन्द्र सरोज निवासी ग्राम डिहवा पूरे सेवकराय थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राजेन्द्र राम मय हमराह का0 श्रवण कुमार, म0का0 प्रान्जली यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 शातिर अपराधी समशेर उर्फ शमसुल को किया गया गिरफ्तार, साथ ही अभियुक्त के कब्जे से 06 अदद देशी नाजायज सुतली बम बरामद किया गया-

अभियुक्त को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत महदेपुर मोड़ पर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 कैलाश यादव मय हमराह हे0का0 राजकुमार कुशवाहा, का0 विवेक कुमार सिंह, रि0का0 हर्षवर्धन राघव, रि0का0 अवनीश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत महदेपुर मोड़ पर तिराहे के पास से 01 अभियुक्त समशेर उर्फ शमसुल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सोनाही थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ के कब्जे से 06 अदद देशी नाजायज सुतली बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त समशेर उर्फ शमसुल कब्जे से 06 अदद देशी नाजायज सुतली बम बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना कंधई में मु0अ0सं0 150/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.समशेर उर्फ शमसुल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सोनाही थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ

बरामदगी-
06 अदद देशी नाजायज सुतली बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 कैलाश यादव मय हमराह हे0का0 राजकुमार कुशवाहा, का० विवेक कुमार सिंह, रि0का0 हर्षवर्धन राघव, रि0का0 अवनीश यादव थाना कंधई, जनपद प्रतपागढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

👉 थाना फतनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में 03 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार-

➡ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्ताओं को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैलीडीह उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 30.06.2026 को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैलीडीह में जमीनी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर वादी बरकत अली एवं उनके परिजनों के साथ घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट एवं तोड़फोड़ किए जाने, जिससे कई व्यक्तियों को चोटें आई तथा संपत्ति का नुकसान होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही आरोप है कि दिनांक 03.07.2026 को विपक्षीगण द्वारा पुनः वादी एवं उसके परिजनों को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 177/2026, धारा 191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/351(3)/352/333/324(4) बीएनएस बनाम 08 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह हे0का0 सुनील यादव, का0 ओमप्रकाश पाल, म0का0 मीना, रि0म0का0 बीनू जायसवाल, रि0म0का0 आसिया खातून द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 177/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/351(3)/352/333/324(4) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्ता, 1.शबाना बानो पत्नी शमशुद्दीन उर्फ वकील 2.आलिया बानो पुत्री समशुद्दीन उर्फ वकील 3.नसरीन बानो पत्नी वफाती समस्त निवासीगण ग्राम कैलीडीह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैलीडीह उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ताओं ने पूछताछ में बताया कि कुछ दिन पूर्व पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर पड़ोसियों से मारपीट हुई थी, घटना के दौरान परिवार के सदस्यों व हम लोगों ने गुस्से में आकर ईंट-पत्थर तथा लाठी-डंडों से पड़ोसियों पर हमला कर दिया था। घटना के बाद विपक्षी पक्ष ने मुकदमा दर्ज करा दिया। अभियुक्ताओं ने बताया कि घटना के दिन से उनके परिवार के पुरुष सदस्य घर छोड़कर फरार हैं और उन्हें उनके ठिकाने की जानकारी नहीं है। आज वे स्वयं भी घर से बाहर जाने की तैयारी में थीं, तभी पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

1. शबाना बानो पत्नी शमशुद्दीन उर्फ वकील
2. आलिया बानो पुत्री समशुद्दीन उर्फ वकील
3. नसरीन बानो पत्नी वफाती समस्त निवासीगण ग्राम कैलीडीह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह हे0का0 सुनील यादव, का0 ओमप्रकाश पाल, म0का0 मीना, रि0म0का0 बीनू जायसवाल, रि0म0का0 आसिया खातून थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

➡पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्ता को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

➡पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह कां0 चन्दन यादव, रि०म०कां0 करिश्मा यादव, रि०म० का0 प्रियंका मिश्रा, चालक कां0 आशीष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 3(5)/137 (2)/187/64 (1)/127 (3)भा न्या सं0 व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्ता को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत गाँव अवधानपुर के पास तिराहे की पुलिया से हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्ता का विवरण-

1. 01 अभियुक्ता।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह कां0 चन्दन यादव, रि०म०कां0 करिश्मा यादव, रि०म० का0 प्रियंका मिश्रा, चालक कां0 आशीष कुमार थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़